



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC/157/2021- 746

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 19/10/2023

विषय- श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा सारण जिलान्तर्गत कन्हौली मनोहर मौजा के खाता संख्या-348, 398, खेसरा संख्या-3339, 3340, 3335, 3341, थाना संख्या-109, थाना-बनियापुर, अंचल, बनियापुर में NH-101 छपरा-बनियापुर पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01875 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/150433/2021/1387, दिनांक 29.08.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 27.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 29.08.2023 में निहित कंडिका	अनुपालन
A:	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.	
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 8,65,161.00 (रु० आठ लाख पैंसठ हजार एक सौ एकसठ) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270150433558, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 20.09.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- SBINR52023092073143067 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.01875 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.01875 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 17,958/- (सतरह हजार नौ सौ अठावन रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270150433558, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 20.09.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- SBINR52023092073143067 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 20.09.2023 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval	प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 27.09.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण से निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:		
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्य को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

d	Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the laboures and staff engaged	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01875 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक- 19/10/2023

ज्ञापांक- FC/157/2021- 746

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान / वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा एवं श्री शैलेन्द्र कुमार, पिता-श्री शिव कुमार शर्मा, ग्राम-गोहॉ, पोस्ट-शामकौड़िया, जिला-सारण, पिन-841411 को सूचना हेतु प्रेषित।



(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Saran/ Saran Forest Division, Chhapra.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shree Shailendra Kumar / HPCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.01875 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, PI clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	29.08.2023				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation	8,65,161.00				
	b. Additional CA	-NA-				
	c. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	17,958.00				
	h. Any other charges/Levies (PI Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-	SBINR52023092073143067	17,958/-	NPV
		2	challan	dt. 20.09.2023	8,65,161/-	CA
		Total-			8,83,119/-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 20.09.2023				
12	Any other remarks					



(Arvinder Singh)

Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 27/09/2023

विषय— श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा सारण जिलान्तर्गत कन्हौली मनोहर मौजा के खाता संख्या—348, 398 खेसरा संख्या 3339, 3340, 3335, 3341 थाना संख्या—109, थाना—बनियापुर, अंचल—बनियापुर में छपरा—बनियापुर पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01875 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक FC/157/2021-626 दिनांक 01.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/150433/2021/1387, दिनांक 29.08.2023 द्वारा दो भाग में Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग—A में 1 से 6 एवं भाग—B में 1 से 9 शर्तें अधिरोपित की गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,65,161/— मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 20.09.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR52023092073143067 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.01875 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9.57780 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 17,958/— बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 20.09.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR52023092073143067 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 के खाता में दिनांक 20.09.2023 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण—पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-09-2023

Agency Name.	SHAIENDRA KUMAR
Application No.	70150433558
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/150433/2021
Location.	BIHAR
Address.	Shailendra Kumar So Sri Sheo Kumar Sharma Village Gohan PO Shamkauriya District Saran 841411Saran
Amount(in Rs)	883119/-

Amount in Words :Eight Lakh Eighty-Three Thousand One Hundred and Nineteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270150433558 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 211, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through cha even after 7 working days, then kindly mail a copy of id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ubin0903710@unionbankofindia.bank

Pri

Counter foil

SBI भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
Branch Boring Canal Road
Date 20.09.2023
Received ₹ 883166.20
From Shailendra Kumar
For remittance of NEFT/RTGS by way of
(i) Transfer (only NEFT), (ii) Cash (only
NEFT), (iii) Cheque (NEFT/RTGS) using
cheque No. 542119
Favouring BIHAR CAMPA
A/c No. 1506270150433558
IFSC Code UBIN0996335
Beneficiary Bank & Branch Union Bank
of India, FCS Centre, Bengaluru
Amount ₹ 883119
Bank's Charges ₹ 47.20
Total ₹ 883166.20
(Rupees Eight Lakh Eighty Three Thousand
One Hundred Sixty Six Rupees Twenty Paise)
For office Use,
UTR No. Branch Manager

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु

FRA 2006 का प्रमाण पत्र
(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली
द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या 1192 दिनांक 01/09/2023

प्रयोक्ता एजेंसी श्री शैलेन्द्र कुमार, पिता- श्री शिव कुमार शर्मा, गा0-गोहॉ, पो0-शामकौडियाँ, थाना-इसुआपुर, जिला-सारण द्वारा सारण जिला अन्तर्गत मौजा-कन्हौली मनोहर, खाता सं0-348, 398, खेसरा सं0-3339, 3340, 3335, 3341, थाना- बनियापुर (Baniyapur), थाना नं0-109, जिला-सारण में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत रैखिक परियोजना के लिए 0.01875 हे0 वन भूमि के अपयोजन (Diverson) हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा के पत्रांक-806 दिनांक-17.05.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत राज कन्हौली मनोहर, प्रखंड-बनियापुर के ग्राम सभा की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त कराया गया, जिस पर अनुमंडलीय वनाधिकार समिति, सदर छपरा के ज्ञापांक-1003/आर0सी0 दिनांक-08.08.2023 द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। इस आधार पर जिला वनाधिकार समिति के ज्ञापांक-1176/आ0 दिनांक-29.08.2023 के द्वारा सर्वसम्मति से FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निर्णय संसूचित किया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी अधिसूचना संख्या-190 E दिनांक-16.02.1994 के अनुसार संशोधित FRA, 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

तद्आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक-13.12.2015 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्तमान में अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी शून्य है।

जिला अपूर्ण पदाधिकारी
सारण, छपरा

अपर समोहर्ता
सारण, छपरा

वन प्रमंडल पदाधिकारी
सारण वन प्रमंडल, छपरा

जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा

OR

Certified That Forest Land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2015 and is located in villages having no recorded populations of Scheduled Tribes.

जिला अपूर्ण पदाधिकारी
सारण, छपरा

अपर समोहर्ता
सारण, छपरा

वन प्रमंडल पदाधिकारी
सारण वन प्रमंडल, छपरा

जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा

(For Linear Project)
Government of Bihar
Office of the District Collector Saran

No.1192....

Dated 01/09/2023

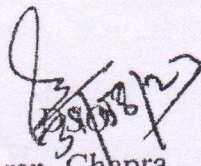
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

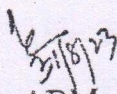
In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's Letter No 11-19/98 EC(Pt) Dated 3rd August 2009 Where in the MoEF issued Guidelines on submission to evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA', for Short) on the Forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.01875 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Patna (Name of user Agency) for Retail Outlet (proposed for diversion of forest land) in Saran District fall within jurisdiction of Kanhauli Manohar village (s) in Baniyapur tehsils.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire. 0.01875 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of consultations and meeting of the forest rights committee(s). Gram Sabha(s), Sub-Division Level-Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 3
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as Required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive tribal groups and pre agricultural communities.

Encl. : As above


Saran, Chapra
30/8/23


ADM
Saran, Chapra


DFC
Saran


District Magistrate
Saran, Chapra

अमन समीर, भा0प्र0सी0, जिलाधिकारी, सारण की अध्यक्षता में (गैर रैखिक परियोजना निर्माण हेतु) दिनांक-29.08.2023 को वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण की संयुक्त बैठक में (FRA 2006) प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विमर्शोपरान्त लिये गये निर्णय के संबंध में।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम सारण जिलान्तर्गत अंचल-बनियापुर में मौजा-कन्हौली मनोहर, थाना-बनियापुर, खाता नं0-348, 398, खेसरा नं0-3339, 3340, 3335, 3341, थाना नं0-109, जिला-सारण में HPCL का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) स्थापित करने हेतु अपयोजित होने वाली भूमि का FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। तद्आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

प्रस्ताव संख्या :-01 अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के ज्ञापांक-1003/आर0सी0 दिनांक-08.08.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनियापुर द्वारा अपने पत्रांक-1099 दिनांक-20.06.2023 से ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव की कार्यवाही की छायाप्रति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी गयी है। दिनांक-10.04.2023 को ग्राम पंचायत राज कन्हौली मनोहर में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या-04 अन्तर्गत श्री शैलेन्द्र कुमार, पिता-श्री शिव कुमार शर्मा, ग्राम-गोहों, पो0-शामकोड़िया, थाना-इसुआपुर, जिला-सारण HPCL (पेट्रोल पंप) से संबंधित प्रस्ताव ग्राम सभा कन्हौली मनोहर के पंचायत समिति सदस्यों के समक्ष रखा गया। HPCL का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) स्थापित करने हेतु मौजा-कन्हौली मनोहर, खाता नं0-348, 398, खेसरा नं0-3339, 3340, 3335, 3341, थाना नं0-109, थाना-बनियापुर, जिला-सारण को ग्राम सभा द्वारा उक्त प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया। साथ ही ग्राम सभा द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के सदस्यों की संख्या शून्य है, इसलिए इस प्रस्ताव से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही ग्राम पंचायत कन्हौली मनोहर की मुखिया श्रीमती पूजा देवी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत स्थल के आस-पास अनुसूचित जनजाति/आदिवासी नहीं है। अतएव ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में अनुमंडल वनाधिकार समिति सदर, छपरा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त पंचायत में रिटेल आउटलेट खोलने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल-बनियापुर, मौजा-कन्हौली मनोहर, थाना-बनियापुर, खाता नं०-348, 398, खेसरा नं०-3339, 3340, 3335, 3341, थाना नं०-109, जिला-सारण में HPCL का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) स्थापित करने हेतु अपयोजित होने वाली भूमि का FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर छपरा।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सरण वन प्रमंडल, छपरा

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1176 / आ० दिनांक 29/08/2023
प्रतिलिपि:- सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर छपरा।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सरण वन प्रमंडल, छपरा

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा

श्री संजय कुमार राय अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा की अध्यक्षता में दिनांक-08.08.2023 को आयोजित अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति:- पंजी में दर्ज है।

2. सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी सदर, छपरा-सह-सदस्य वनाधिकारी समिति, सदर छपरा/श्री बांके पासवान, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, सारण, छपरा-सदस्य/रम्भा कुमारी 14-जिला परिषद सदस्य (सा0-फकुली, प्रखण्ड-सदर जिला- सारण, छपरा)-सह-सदस्य, वनाधिकारी समिति, सदर छपरा/श्री नुकेश कुमार राम 34-जिला परिषद सदस्य (सा0-कैतुका नंदन, प्रखण्ड-मकेर जिला-सारण, छपरा)-सह-सदस्य, वनाधिकारी समिति, सदर छपरा का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। श्रीमती आशा कुमारी 37-जिला परिषद सदस्य (सा0-कमालपुर, प्रखण्ड-गरखा, जिला-सारण, छपरा)-सह-सदस्य, वनाधिकारी समिति, सदर छपरा निजी कार्य होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हुई। प्रस्ताव संख्या-01 अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-548/आपूर्ति दिनांक-19.05.2023 द्वारा मौजा-कन्हौली मनोहर, खाता नं0-348, 398, खेसरा नं0-3339, 3340, 3335, 3341, थाना नं0-109, थाना बनियापुर, जिला सारण पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु अनापति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुमण्डल स्तर की वनाधिकार समिति से संबंधित प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त हुआ है। जिसके आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-665 आर0सी0, दिनांक-25.05.2023 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बनियापुर, सारण से ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव की कार्यवाही की प्रति की मांग की गई। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बनियापुर द्वारा अपने पत्रांक-1099 दिनांक-20.06.2023 से ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव की कार्यवाही की छायाप्रति एवं अनापति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायी गई है। जिससे उपस्थित सभी सदस्यगणों को अवगत कराया गया।

2. दिनांक-10.04.2023 को ग्राम पंचायत राज कन्हौली मनोहर में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या-4 अन्तर्गत श्री शैलेन्द्र कुमार, पिता श्री शिव कुमार शर्मा, ग्राम गोहों, पो0 शामकौड़िया, थाना इसुआपुर, जिला सारण HPCL (पेट्रोल पम्प) से संबंधित प्रस्ताव ग्राम सभा कन्हौली मनोहर के पंचायत समिति सदस्यों के समक्ष रखा गया। HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु मौजा कन्हौली मनोहर, खाता नं0-348, 398, खेसरा नं0-3339, 3340, 3335, 3341, थाना नं0-109, थाना बनियापुर, जिला सारण ग्राम सभा द्वारा उक्त प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया। साथ ही ग्राम सभा द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के सदस्यों की संख्या शून्य है। इसलिए इस प्रस्ताव से किसी को कोई आपति नहीं है।

प्रखण्ड विकास पदा0, बनियापुरके पत्रांक1099 दिनांक 20.06.2023 एवं ग्राम पंचायत कन्हौली मनोहर,

Conf. Sec.

परगण्ड वजिगापुर के मुखिया भीमती पूजा देवी नाम स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत स्थल के आस पास अनुरूपित जनजाति/आदिवासी नहीं है।

अतः आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में अनुमण्डल वनाधिकार समिति, सदर छपरा नाम सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त पंचायत में रिटेल आउटलेट खोलने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

अन्ततः समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए अध्यक्ष द्वारा सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

आशा कुमारी-37
जिला परिषद, सदस्य
3.8.023
श्री बांके पासवान,
वन क्षेत्र पदाधिकारी

श्री गुरुश कुमार राम-34
जिला परिषद, सदस्य
अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी
सदर, छपरा।

रमभा कुमारी-14
जिला परिषद, सदस्य
अनुमण्डल पदाधिकारी
सदर, छपरा।

ज्ञापक...1003.../आर0सी0 दिनांक-08 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि:-सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-वन क्षेत्र पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर, छपरा।



कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बनियापुर, सारण।

The Office of Block Development Officer,
Baniyapur, Saran.



E-mail ID :- bdo.ban-sr-bih@nic.in

Mobile No. +91-9431818166

पत्रांक...1099...../दिनांक...20/06/2023.....

प्रेषक,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
बनियापुर, सारण।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर, छपरा।

विषय:- मौजा कन्हौली मनोहर, खाता न0-348,398 खेसरा
न0-3339, 3340,3335 एवं 3341 थाना न0-109
थाना-बनियापुर, जिला-सारण रिटेल आउटलेट (पेट्रोल
पंप) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध
कराने के संबंध में।

प्रसंग:- 665/ आर0 सी0, दिनांक-25.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में श्रम
प्रवर्तन पदाधिकारी, बनियापुर सारण के पत्रांक-35 दिनांक-16.06.
2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पंचायत राज
कन्हौली मनोहर के मुखिया श्रीमती पुजा देवी के अध्यक्षता में
दिनांक-10.04.2023 को ग्राम सभा की बैठक में मौजा कन्हौली
मनोहर, खाता न0-348,398 खेसरा न0-3339, 3340,3335
एवं 3341 थाना न0-109 थाना-बनियापुर, जिला-सारण रिटेल
आउटलेट (पेट्रोल पंप) स्थापित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया
गया है। उक्त स्थान पर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रश्नगत स्थल के आस-पास अनुसूचित जन जाति /आदिवासी नहीं
है। बैठक पंजी की अभिप्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर
अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अतः प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नगत स्थल पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) स्थापित करने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा के साथ मुल अभिलेख भवदीय को भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

20/6/23

प्रखण्ड विकास चदाधिकारी,
बनियापुर, सारण।
20/6/23

ग्राम पंचायत राज कन्हौली मनोहर

प्रखण्ड-बनियापुर, सारण, बिहार-841403

पुजा देवी

"मुखिया"

Mob.-9525482536

7632833386

-: आवास :-
ग्राम-चेतन छपरा
पो0-पुछरी, थाना-बनियापुर
जिला-छपरा (सारण)

पत्रांक :- 337

दिनांक...17/04/2023

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीलेंद्र कुमार,
पिता- श्री शिव कुमार शर्मा, ग्राम- गोहॉ, पो0 -
शामकौड़ियाँ, थाना- बसुआपुर, जिला- सारण के निवासी हैं।
HPCL का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) कन्हौली
मनोहर में खोला जाना है। श्रीलेंद्र कुमार के नाम से
मौजा- कन्हौली मनोहर, खाला नं0- 348, 398 खेसरा
नं0- 3339, 3340, 3335, 3341, थाना नं0- 109, थाना-
बनियापुर, जिला- सारण, भूमि पर पेट्रोल पंप अद्विष्टापित
किया जा सकता है।

उक्त प्रस्तावित भूमि पर अनुसूचित
जनजाति (आदिवासी) की संख्या शून्य है। प्रस्तावित स्थल
मुख्य मार्ग NH-101 (वर्तमान में NH-331) के किनारे है।
इस पेट्रोल पंप के खुलने से पंचायत को किसी प्रकार
की कोई आपत्ति नहीं है।

पुजा देवी

मुखिया

ग्राम पंचायत राज कन्हौली मनोहर
प्रखण्ड बनियापुर (सारण)

आज दिनांक 10/04/2023 को ग्राम
पंचायत राज कन्हौली मनोहर, बनिवापुर, सारण
के ग्राम समा की विशेष बैठक ग्राम
पंचायत भवन के प्रांगण में पंचायत की
मुखिया श्रीमती पूजा देवी के अध्यक्षता
में सम्पन्न हुई। जिसमें ग्राम समा के
सदस्यों की उपस्थिति में निम्नांकित प्रस्ताव
सर्वसम्मति से पारित किये गये: —

पंचायत समिति

पंचायत समिति

मुख्या
उ.प.स.

पूजा देवी

मुखिया

मुखिया

पंचायत समिति

पंचायत समिति के अध्यक्षता में ग्राम पंचायत राज कन्हौली मनोहर
बनिवापुर (सारण) में आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में निम्नांकित प्रस्ताव
सर्वसम्मति से पारित किये गये: —

① अजय कुमार पांडव (वडा सदस्य) कन्हौली मनोहर

② अजय राम पुर्व मुखिया अजय कन्हौली मनोहर

③ मुन्ना झा

④ अजय कुमार सिंह

⑤ अजय कुमार सिंह

पूजा देवी

मुखिया

⑥ अजय कुमार सिंह

ग्राम पंचायत राज कन्हौली मनोहर
बनिवापुर (सारण)

(7) अमरेश राम

(8) प्रभु प्रसाद

(9) राम सुहा साह

(10) गीता देवी

(11) अविनाश

(12) मनोज प्रसाद

(13) मंजय प्रसाद

(14) शीला देवी

(15) गीता साह

(16) Pankaj Kumar

(17) सुदर्शन साह

(18) कामेश्वर साह

(19) लता देवी

पुजा देवी

मुखिया

(20)

कामाद

ग्राम प्रधान राज कर्हली मनोहर
साह प्रवाण्ड वनयापर (मार्ग)

(21) विजय नर

(22) रमेश नाथ

(23) राधकृष्ण नाथ

(24) मदन राम

(25) युवराज नाथ

(26) राम कृष्ण नाथ

(27) कलनाथ नाथ

(28) Rohan Kumar

(29) आशुतोष नाथ

(30) Sandeep Kumar

(31) गुड्डू कुमार

(32) कुनाल कुमार

(33) ASHISH Singh

(34) राध लाल नाथ

(35) मुनी देवी

(36) गीता देवी

(37) शुभा कुमारी

(38) दीपक कुमार

(39) विजय कुमारी देवी

(40) धीरज कुमार

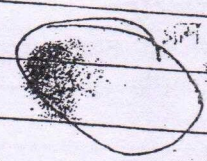
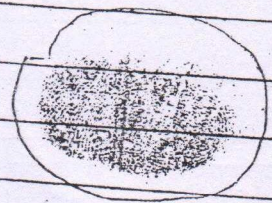
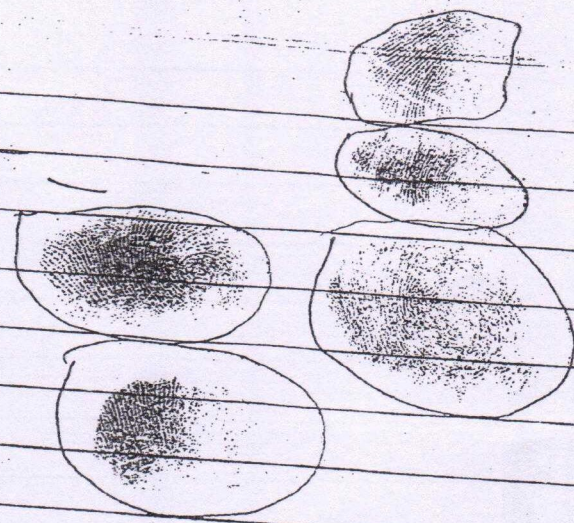
(41) राजेश देवी

(42) दिलीप कुमार नाथ नाथ - 18

पुजा देवी

मुखवा

श्री गुरुदेव सत्य कर्माती मनोहर
ब्रह्मदेव ब्रह्मवाप (मार्ग)



(44) राम राय खाह

(45) नवल किशोर

(46) श्री राम राम

(47) सुनेश प्राम

(48) अकबर अंसारी

(49) जीतेंद्र कुमार राय

(50) Vinod Ray

(51) विजय राय

(52) देहारी राय

(53) Manjey Lal Kushwaha

(54) विजय कुमार खार

(55) देवराज खार

पुजा देवी

(56) आभयकाश पात्र

मुखिया

ग्राम पंचायत राज कन्हौली मनोहर
प्रखण्ड बनयापर (मोरांग)

(57)

प्रस्ताव संख्या 1:-

जल बैठक की कार्यवाही सभी को पढ़कर सुनाई गई, जिसकी संहति सर्वसम्मति से की गई।

प्रस्ताव संख्या 2:-

बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच वर्ष 2023-24 तक के लिए JAPDP योजना संचालन हेतु विभिन्न योजनाओं का चयन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 3:-

स्वच्छता मिश्र के आन्तर्गत होस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन समिति के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।

प्रस्ताव संख्या 4:-

श्री शिवकुमार शर्मा, ग्राम - गौरी, पीठा-शामकौड़ियाँ, चाना - ईशुकापुर, जिला - सारण HPCCL (पेट्रोल पम्प) से संबंधित प्रस्ताव ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के समक्ष रखा गया। HPCCL का रिटेल आउटलेट स्थापित हेतु मौजा - कन्हौली मनोहर, खाला नं०- 348, 398 खेसरा नं०- 3339, 3340,

पुजा रेवी 3335, 3341 चाना नं०- 109, भागा- बगियाछा जिला- सारण ग्राम सभा द्वारा इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया।

पुजा रेवी
मन्तर राज कन्हौली मनोहर
मण्ड बांनयापुर (सारण)

समय ही ग्राम सभा द्वारा बताया

1900

[illegible]

जो घर देवमान रात में जाता वह मिथिला
है ईश्वर (सोर्ग) का घर ।

(iv) इनमें से मनोहर पंजाब के राजा बर्मा (1857-1859)
में अरावीन एवं कुंदन का निर्माण;

(गि) ०३ - १२ में कृष्णमान दे पास चकुरा
का निर्माण।

(11) क-होली मनीहर गन्धामूर के बाई न. 1 म.
जल नत का, अमूर, काभी।

Q) वाइ 2 में जल को सक्रिय कायः

(५॥) बाई नं० १४ में नहर पर हराम काकाई राज
 से होने हुए कृपात गिरि व पर नंद पर
 एवं बुद्धिमान निर्माण

105

मुखिया

पुनः पंचायत राज मजदूरी मजोहर
प्रमुख यान